जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी0सी0ए0 केश नं0-09/2023-24

सरकार

बनाम्

मुन्ना साई उर्फ मुन्ना अंसारी

—: आदेश :—

दिनांक 30/2/24

अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–301/डी0सी0बी0 दिनांक–26.06.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने ललमटिया थाना के अपराधकर्मी मुन्ना साई उर्फ मुन्ना अंसारी, उम्र–करीब 30 वर्ष, पिता–समसुद्दीन अंसारी, ग्राम–डकैता, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी मुन्ना साई उर्फ मुन्ना अंसारी, उम्र–करीब 30 वर्ष, पिता–समसुद्दीन अंसारी, ग्राम–डकैता, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा एक असामाजिक तत्व है, जिसके द्वारा लम्बे अरसे से ललमटिया थाना क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसे ललमटिया थाना काण्ड सं0–53/2022 दिनांक–28.06.2022 धारा 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा से जमानत पर मुक्त है।

आगे प्रतिवेदन है कि यह एक परिभाषित असामाजिक तत्व है, जिसका कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों को भयादोहन करने हेतु छीनतई रंगदारी एवं अवैध हथियार रखकर घटना को अंजाम देने जैसे कई कांड अंकित किये गये है, जिसका उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के प्रस्ताव में किया गया है। इसके विरूद्ध ललमटिया थानान्तर्गत काण्ड के अलावे असामाजिक गतिविधि के लिए सन्हा भी दर्ज किया गया है। इसके बाहर रहने से लोक व्यवस्था पूरी तरह से भंग होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए अपराधकर्मी मुन्ना साई उर्फ मुन्ना अंसारी, उम्र–करीब 30

वर्ष, पिता–समसुद्दीन अंसारी, ग्राम–डकैता, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए थाना हाजिरी कर निगरानी रखना अति आवश्यक है। इसके बाहर रहने से ललमटिया थाना क्षेत्र के आस–पास के गॉव एवं थाना क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी भय का माहौल बना हुआ है, जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतएव आम लोगों पर भयांक्रांत खौप, दहशत देखने को मिल रहा है। इसका पुष्टि ललमटिया थाना में दर्ज सन्हा से प्रतीत होता है, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। इनके विरूद्ध दर्ज किये गये आपराधिक इतिहास निम्नांकित है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा में विचाराधीन है तथा सभी कांण्डों में आरोप पत्र समर्पित किये जा चुके हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अंकित है।

आपराधिक इतिहास :–

1. ललमटिया थाना काण्ड सं0–53/2022 दिनांक–28.06.2022 धारा 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
2. ललमटिया थाना काण्ड सं0–52/2022 दिनांक–27.06.2022 धारा–387/307/506/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।
3. ललमटिया थाना काण्ड सं0–125/2021 दिनांक–01.11.2021 धारा–147/323/333/338/307/353 भा0द0वि0

वर्तमान में उक्त के विरूद्ध दर्ज सन्हा :–

ललमटिया थाना दैनिकी सन्हा संख्या–18 दिनांक–08.06.2023

आगे प्रतिवेदन में उल्लेख है कि पु0अ0नि0 जितेन्द्र कुमार वर्मा सशस्त्र बल के साथ दिवा गश्ती, वाहन चेकिंग, बैंक चेकिंग से थाना वापस आये तथा दैनिकी का भार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में सूचना मिली कि कुख्यात अपराधकर्मी मुन्ना साई उर्फ मुन्ना अंसारी, उम्र–करीब 30 वर्ष, पिता–समसुद्दीन अंसारी, ग्राम–डकैता, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा वर्तमान में जमानत पर मुक्त है। ये एक सक्रिय अपराधकर्मी है तथा इनके विरूद्ध विभिन्न काण्ड दर्ज है। इसके जेल से बाहर रहने के कारण आम जनता में काफी भय व्याप्त सरीफ लोग इनके सामने जाने से डरते हैं तथा इनका जेल से बाहर रहने से लोक शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। दर्ज काण्डों एवं सनहा से यह स्पष्ट है कि

मुन्ना साई उर्फ मुन्ना अंसारी, उम्र–करीब 30 वर्ष, पिता–समसुद्दीन अंसारी, ग्राम–डकैता, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) में परिभाषित असमाजिक तत्व है। जिनका मुख्य कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों का भयादोहन करना, हथियार के बल पर रंगदारी वसूलना, अपराधिक घटनाओं को अंजाम देना इत्यादि है। यह अपराधी जेल से जमानत पर छुटकर बाहर आया है। इनके जेल से छुटने पर ललमटिया थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों के लोगों में भय व्याप्त है तथा इनके घर पर अक्सर संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आमजनों में भय का माहौल बन गया है। इनके भय को आमजनों में कम करने के लिए इनकी निगरानी रखना आवश्यक है। जिसके लिए इन्हे थाना पर हाजिरी कराकर निगरानी रखने पर आमजनों मे दहशत का माहौल नियंत्रण रहेगा। उक्त अपराधकर्मी के विरूद्ध अपराध नियत्रंण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने से आम जनता के मनोबल में वृद्धि होगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा जो ललमटिया थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने उक्त असामाजिक तत्व मुन्ना साई उर्फ मुन्ना अंसारी, उम्र–करीब 30 वर्ष, पिता–समसुद्दीन अंसारी, ग्राम–डकैता, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा को लोक हित में निगरानी रखने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने की अनुशंसा की है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया है। विपक्षी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मुन्ना साई उर्फ मुन्ना अंसारी, उम्र–करीब 30 वर्ष, पिता–समसुद्दीन अंसारी, ग्राम–डकैता, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा एक अपराधकर्मी है। विपक्षी के विरूद्ध ललमटिया थाना काण्ड सं0–53/2022 दिनांक–28.06.2022 धारा 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट, ललमटिया थाना काण्ड सं0–52/2022 दिनांक–27.06.2022 धारा–387/307/506/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं ललमटिया थाना काण्ड सं0–125/2021 दिनांक–01.11.2021 धारा–147/323/333/338/307/353 भा0द0वि0 तथा ललमटिया थाना दैनिकी सन्हा संख्या–18 दिनांक–08.06.2023 सन्हा दर्ज है। विपक्षी के जेल से बाहर रहने से लोक

व्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं एवं इनके द्वारा शांति भंग भी की जा सकती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेन संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत मुन्ना साई उर्फ मुन्ना अंसारी, उम्र–करीब 30 वर्ष, पिता–समसुद्दीन अंसारी, ग्राम–डकैता, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे जून 2024 तक लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :–

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह – 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम – 07 बजे से 08 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन श्री प्रदीप कुमार दास, थाना प्रभारी, ललमटिया, मो0 नं0–9431134788 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, ललमटिया को आदेश दिया जाता है कि वे मुन्ना साई उर्फ मुन्ना अंसारी का प्रत्येक दिन का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार माह जून 2024 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, ललमटिया को देगें तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।
30/3/24

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

डी० बी०
स० 73 / 5/4/24
एवं 74 / 5/4/24
निर्गत

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.11.12 13:00:14 +05:30
Location: 192.168.1.9